

## ‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे’ हेतु भूमि क्रय का विवरण

दिनांक 01.02.2018

क्र० सं०	जनपद	प्रभावित ग्रामों की संख्या	जनपद को प्रेषित प्रस्तावों की संख्या	संरेखण के अंतर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल	प्रेषित प्रस्तावों में सम्मिलित क्षेत्र (हे०)		दैनिक		क्रमिक		कुल किसानों की संख्या क्रमिक	पुनर्ग्रहित भूमि (हे० में)	कालम-6 के सापेक्ष प्रतिशत	कालम-5 के सापेक्ष प्रतिशत	विनियम हेतु क्रय योग्य स्वीकृत क्षेत्रफल (हे०)	अन्य विवरण
					क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण हेतु	बैनामों की संख्या	लक्ष्य के सापेक्ष क्रय की स्थिति	बैनामों की संख्या	रकबा (हे०)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	लखनऊ	14	14	220.3793	179.8451	40.5342			731	112.7861	1004	31.6823	62.71%	65.55%		
2	बाराबंकी	36	36	474.6168	444.0755	30.5413			1645	391.7157	4843	12.2456	88.21%	85.11%	18.8136	
3	अमेठी	18	18	194.5018	183.8507	10.6511	3	0.6000	904	165.3776	2189	6.3865	89.95%	88.31%	8.4074	
4	सुल्तानपुर	110	110	1339.9245	1175.7655	164.1590			8049	1058.49645	14437	21.1009	90.03%	80.57%		
5	फैजाबाद	5	5	56.1067	51.4833	4.6234			251	50.18650	656	0.785	97.48%	90.85%		
6	अम्बेडकर नगर	7	7	61.3749	56.9188	4.4561			319	50.0467	918	1.4650	87.93%	83.93%		
7	आजमगढ़	112	112	986.8080	871.6740	115.1340	16	1.6293	11118	716.4823	21574	12.4683	82.20%	73.87%		
8	मऊ	40	40	325.7500	300.0404	25.7096			1501	285.7110	4728	2.2622	95.22%	88.40%		
9	गाजीपुर	71	71	676.2127	633.5469	42.6658	24	6.17328	2264	530.41348	7929	4.9984	83.72%	79.18%		
	<b>योग</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>4335.6747</b>	<b>3897.2002</b>	<b>438.4745</b>	<b>43</b>	<b>8.4026</b>	<b>26782</b>	<b>3361.2158</b>	<b>58278</b>	<b>93.3942</b>	<b>86.25%</b>	<b>79.68%</b>	<b>27.2210</b>	

**नोट-** **1.अधिग्रहण की कार्यवाही** - जनपद-लखनऊ के 14 ग्रामों के अधिग्रहण के प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं। एस.आई.ए. की धारा-4(1) की अधिसूचना हेतु दिनांक 19.01.2018 को प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है। जनपद-फैजाबाद के 5 ग्रामों के अधिग्रहण प्रस्ताव जनपद को प्रेषित किया जा चुका है। जनपद-बाराबंकी के 12 ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं। शेष परामर्शी आई.आई.डी.सी. द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। शेष जनपदों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

2. जनपद-बाराबंकी में धारा-117 की समस्त भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा चुका है। धारा-132 की विनियम की समस्त वैकल्पिक भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव यूपीडा को उपलब्ध कराये गये थे, जिसके आधार पर प्रस्तावित भूमि क्रय करने की स्वीकृति दिनांक 07.12.2017 को दे दी गयी है।